

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ. 1003(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण के नाम से ज्ञात (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) एक प्राधिकरण का इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

- | | | |
|----|--|------------|
| 1. | सचिव
पर्यावरण विभाग,
महाराष्ट्र सरकार। | अध्यक्ष |
| 2. | सचिव,
राजस्व और वन विभाग
महाराष्ट्र सरकार | सदस्य |
| 3. | सचिव,
नगरीय विभाग,
महाराष्ट्र सरकार | सदस्य |
| 4. | डा. लीला भौंसले
वनस्पति विभाग, कोल्हापुर
विश्वविद्यालय, कोल्हापुर | सदस्य |
| 5. | डा. ए. डी. दीवान,
सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ फिशरीज
एजुकेशन, वेरसोआ, मुम्बई | सदस्य |
| 6. | डा. आर. पी. गुप्ता,
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान,
मुम्बई | सदस्य |
| 7. | सदस्य सचिव,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड महाराष्ट्र राज्य,
मुम्बई। | सदस्य सचिव |

II. प्राधिकरण को, तटीय पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा महाराष्ट्र राज्य के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, उपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

- (i) तटीय विनियमन जोन क्षेत्रों और महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त तटीय क्षेत्र प्रबन्ध योजना (सी जैड एम पी) में वर्गीकरण के परिवर्तन उपान्तरणों के, प्रस्तावों की परीक्षा करना और उनके लिए राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबन्ध प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट सिफारिशें करना।
- (ii) (क) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन उपबन्धों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच करना और यदि किसी विनिर्दिष्ट मामले में आवश्यक प्रतीत हो तो उक्त अधिनियम के धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना, जहां तक कि ऐसे निदेश राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण

द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस विशिष्ट मामले में जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों;

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, उपबन्धों के उल्लंघन करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक हो तो ऐसे मामलों को टिप्पणियों के साथ पुनर्विलोकन के लिए राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबन्ध प्राधिकरण को निदेशित करना :

परन्तु पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) और (ii) (ख) के अधीन मामले स्वयं या किसी व्यक्ति या किसी प्रतिनिधि निकाय या किसी संगठन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर लिए जा सकेंगे।

(iii) इस आदेश के पैरा 2 के उप-पैरा (ii) (क) के अधीन उसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायतें फाइल करना।

(iv) इस आदेश के पैरा II के उप-पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवादों से संबंधित तथ्यों के सत्यापन के लिए कार्रवाई करना।

- III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जोन से संबंधित ऐसे पर्यावरणीय विवादों के संबंध में कार्रवाई कर सकेगा जो उसे महाराष्ट्र राज्य सरकार, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।
- V. प्राधिकरण, ऐसे तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा जो अपरदन/अपक्षय के लिए अतिसुमेद्य क्षेत्र हैं और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिर्दिष्ट प्रबंध योजनाओं की विरचना करेगा।
- VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जोन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जोन प्रबंध योजनासन तैयार करेगा।
- VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन तैयार की गई योजनाएं और उनके उपान्तरण, परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय, तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा, जो महाराष्ट्र के अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना में अधिकथित की जाती हैं।
- IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट छह मास में कम से कम एक बार राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- X. प्राधिकरण की पूर्वगामी शक्तियों और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।

- XI. प्राधिकरण का मुख्यालय मुम्बई में स्थित होगा।
- XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के भीतर विनिर्दिष्ट: न आने वाला कोई विषय संबंधित कानूनी प्राधिकारियों द्वारा निपटाया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आईए-III]

के. रौय पौल, अपर सचिव